Shri Jagjivan Ram: The report was received sometime in May this year. It has recommended the rationalisation of the whole freight structure. The issue is a complicated one and requires to be examined from all aspects. That is why it is taking time. We hope to finalise it in the next two months.

Shri T. B. Vittal Rao: The hon. Minister has stated that it will be finalized within two months. Since the framing of the budget for the year 1958-59 will be taken up within a month or two, I want to know whether the recommendations of the Freight Structure Enquiry Committee will be enforced during 1958-59.

Shri Jagjivan Ram: If we are able to finalize it at a stage where it will be possible to have the forecast of the *income from the revised freights, we* will include that in the budget Otherwise, it will have to be done at a subsequent stage

Shri T. B. Vittal Rao: May I know whether it is a fact that it is being examined by a sub-committee in the Railway Board?

Shri Jagjivan Ram: It is not being examined by a sub-committee. It is being examined by the officers of the Board

Noori Sugar Mills, Bhatni

*1668. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Pandey:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any application, direct or through Government of Uttar Pradesh has been received for the appointment of an Authorised Controller by the auction purchsser of Noori Sugar Works, Bhatni, Deoria, U.P.;

(b) if so, the action taken thereon;

(c) whether it is a fact that some of the sugar factories which had been taking sugarcane of Bhatni area have refused to take any cane of that area in 1957-58 season causing much inconvenience and loss to cane growers and Government; and

(d) if so, what steps have been taken so far or proposed to be taken for the disposal of the cane of that area?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): (a) Yes, Sir.

(b) The case is under examination.

(c) and (d). Two of the sugar factories to which the cane grown in the Zone of Bhatni factory was being allotted in previous seasons, are reluctant to take such cane during 1957-58 season. This would, however, not cause any inconvenience or loss to cane growers as the State Government propose to re-allot such cane to other neighbouring factories, if it is not found feasible to bring the Bhatni factory into production.

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जो दो फैक्टरीज़ को केन दिया गया वे उसे लेने के लिये तैयार नही हैं। अब यू० पी० गवर्नमेंट वह केन दूसरी मिल को देगी। इससे किसानों को तकलीफ होगी। इसके बजाये सरकार इस मिल का किसी को कंट्रोलर नियुक्त करके इसे चालू क्यों नही कर देती ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : उससे किसानो को तकलीफ नहीं होगी। किसानो के जो हुकूक हैं वे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर माननीय सदस्य के दिमाग में यह चीज है कि हम मिल ओनर को कंट्रोलर मुकर्रर कर दे, तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब कि कानून हमको इसकी इजाजत दे। अभी तो हमारी कानून मिनिस्ट्री ने हमको यह सलाह दी है कि उसके अन्दर दिक्कतें हैं। अगर वे दिक्कतें रहेंगी तब तो हम ऐसा नही करेंगे लेकिन अगर वे दिक्कतें हट जाती हैं तो हम इसके बारे में सोचेंगे।

श्री विभूति मिश्र : क्रशिंग सीजन नजदीक है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस

कानूनी अड़चन को हल करने में कितने दिन और लगेंगे ?

श्री अ० प्र० जैन : इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह फैक्टरी वाला, जिसने इसको खरीदा है, यह चाहता है कि कंट्रोलर मुकर्रर हो जाये लेकिन वह पैसा लगाना नहीं चाहता। उसमें पांच या छः लाख रुपया लगेगा। जब तक वह रुपया लगाने को तैयार नहीं होता उसको कंट्रोलर मुकर्रर नहीं किया जा सकता।

डा० राम सुभग सिंह : किन किन कारणों से फैक्टरीज ने शूगर केन लेने से इंकार कर दिया ?

श्री अ० प्र० जैन : अब उनको जरूरत नहीं है। लेकिन वह गन्ना दूसरी जगह लग जायेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच लाख रुपया लगेगा पर जिन्होंने इसको खरीदा है वह रुपया लगाने को तैयार नहीं है। फैक्टरी को चालू करने के लिये उनके सामने गवर्नमेंट ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं और उनमें से उनको कौन कौन सी शर्तें मंजूर हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : गवर्नमेंट के शर्तें रखने का सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं तमाम बात हाउस के सामने साफ साफ रख दूं। यह एक इवैक्वे प्रापर्टी थी जिसके कुछ आदमी पाकिस्तान चले गये। उसका नीलाम हुआ और वह खरीद ली गयी अब उसके बारे में हाईकोर्ट में मुकदमा चला हुआ है। अब हाईकोर्ट से मामला तै होने के पहले जिसने उसे खरीदा है वह रुपया लगाना नहीं चाहता और फैक्टरी बन्द पड़ी हुई है। उस आदमी को शक है कि हाईकोर्ट उसके हक को मंजूर करेगी या नहीं।

श्री सिंहासन सिंह : इस फैक्टरी के बन्द हो जाने से उस एरिया के काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है। पहले जब वह फैक्टरी चालू थी तो उनको काफी फायदा होता था। पहले वहां ईख बहुत पैदा होती थी पर जब से फैक्टरी बन्द हो गयी है ईख की पैदावार वहां बहुत कम हो गयी है। अगर यह फैक्टरी चालू की जा सके तो काश्तकारों को बहुत फायदा होगा।

श्री अ० प्र० जैन : यह फैक्टरी तो आठ वर्ष से बन्द पड़ी हुई है। अभी तो बन्द नहीं हुई है। यह सवाल कोई नया तो नहीं है।

Rice Mills in Andhra

*1669. **Shri Nagi Reddy**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of rice mills in Andhra Pradesh that have been served with notices to declare their stocks, District-wise; and

(b) the rates at which Government have purchased rice in Andhra?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): (a) 344 altogether in the three districts of Krishna, East Godavari and West Godavari

(b) The rates range from Rs 17 to Rs. 19/12/2 per maund bagged rice ex-mill

Shri Nagi Reddy: May I know the difference between the price at the time of the procurement and the price at the time of the harvest?

Shri M. V. Krishnappa: The price today is about eight annas or one rupee less than what it was three months ago, i.e, at the time of the harvest The price was about Rs. 18-8-0 to Rs 19.

Shri Nagi Reddy: That is not less. The price that Government is now paying is a little more than what it was at the time of the harvest.

Shri M. V. Krishnappa: That is so. At the time of the harvest the price was very high Today we are able to procure it at a lower price.